प्रपत्र–5

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत स्व0 कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के गॉव डुंगरपुर हेतु अमतौड़ा से मोटर मार्ग निर्माण।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

शासनादेश की प्रमाणित फोटोप्रति संलग्न है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

सहायक अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर

4

(2)

0-2016

2729

संख्या– 2335 / III(2) / 16–53(प्रा०आ०) / 2016

क,

एस०एस० टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

S.S.O. (I) CA II
27
प्रमुख अभियन्ता लो. नि. वि.

IIAC
1579
27-10-16

निर्माण अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 21 अक्टूबर, 2016

:– **वित्तीय वर्ष 2016–17 में जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत स्व0 कारगिल शहीद श्री रमेश परिहार के गांव डूंगरपुर हेतु अमतौड़ा से मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।**

दय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे0का0, लोक ण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन, जिसकी लम्बाई 4.00 किमी0 लागत ₹ 63.40 लाख है, पर **विभागीय टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि .40 लाख (रू0 तिरेसठ लाख चालीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि के निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान है :–

उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:–1764 / III(2) / 10–17(सामान्य) / 2008 दिनांक 17 जून, 2010 वस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। त परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गा।

आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका जन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना बत करें।

आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का मद में व्यय कदापि न किया जाय।

स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में -समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:–2047 / XIV–219(2006) दिनांक 6–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से लन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22 लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर त परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–...

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
P.D. P.W.D. Bageshwar

copy to AE(I) ... 27/10

5

भूमि अधिग्रहण--00 --24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय--व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

— स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

— वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31--03--2017 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यो में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016--17 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान 0--22--लेखाशीर्षक--5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय--04 जिला तथा अन्य सड़कें--आयोजनागत--800--अन्य व्यय--03 राज्य सेक्टर--02 नया निर्माण कार्य--24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

) यह आदेश वित्त अनुभाग--2 के अशासकीय संख्या-- 604/XXVII/(2)/2016 दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

संख्या--2335/ III(2)/16--53(प्रा0आ0)/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
3. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, अल्मोड़ा।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग--2, उत्तराखण्ड शासन।
7. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।
8. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
P.D.P.W.D Bageshwar

आज्ञा से,

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव